

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2022—पौष 30, शक 1943

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

क्र. एफ-01-23-2020-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, शिक्षा विभाग अमहाविद्यालयीन शाखा (तृतीय श्रेणी) लिपिक वर्गीय भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची 1 (अ) के सरल क्रमांक 1 एवं 2 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	05	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300—34800+4200	आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश.
2	सहायक अधीक्षक	19	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300—34800+3600	आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश.

उपर्युक्त वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू कर नगद लाभ दिनांक 1 जुलाई 2018 (अगस्त 2018 में देय) से दिया जाएगा. दिनांक 01 जनवरी 2016 को उपर्युक्त अनुसार देय ग्रेड वेतन के आधार पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन निर्धारण किया जावेगा. दिनांक 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिये काल्पनिक वेतन वृद्धियां दी जाएंगी.

No. F-01-23-2020-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh, Education Department, non-Collegiate branch (Class III) clerical recruitment and Promotion Rule, 1973, School Education Department of Madhya Pradesh namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in schedule No.-1 (A), for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of posts included in Service	Number of Permanent Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	05	Class III Clerical	9300—34800+4200 Grade Pay	Commissioner Public Instruction, Madhya Pradesh.
2	Assistant Superintendent	19	Class III Clerical	9300—34800+3600 Grade Pay	Commissioner Public Instruction, Madhya Pradesh.

Note:—The above pay scale shall be applicable from 1st January 2016 cash benefit shall be given from 1st July 2018 (payable in August 2018) On the basis of grade pay payable as above mentioned on 1st January 2016 Salary shall be fixed in the Madhya Pradesh Pay Revision Rules, 2017 Notional increments shall be given for the period from 1st January 2016 to 30th June 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव.